

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पटना, दिनांक 23.03.18

पत्रांक 158/31/927

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन)19/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
पूर्णिया।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0105-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851007890105 के विषय शीर्ष 0105.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (2017-18) के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को मलवरी कीटपालन के माध्यम से सशक्तीकरण हेतु वर्ष 2017-18 में रू० 4,55,43,000/- (चार करोड़ पचपन लाख तेतालीस हजार रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 987 दि० 12.03.2018 (विभागीय शुद्धि-पत्र ज्ञापांक 1217, दिनांक 20.03.18 द्वारा अंशतः संशोधित) के आलोक में उपर्युक्त विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 4,55,43,000/- (चार करोड़ पचपन लाख तेतालीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0105-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851007890105, विषय शीर्ष 0105.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा।

3

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

5

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

6

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

7

राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णिया से की जाएगी।


8

व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

2017-18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 987, दिनांक 12.03.2018 (विभागीय शुद्धि-पत्र ज्ञापांक 1217, दिनांक 20.03.18 द्वारा अंशतः संशोधित) में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापिकांक 158/31/927

पटना, दिनांक 23-03-18


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापिकांक 158/31/927

पटना, दिनांक 23-03-18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, सहरसा एवं किशनगंज/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।